बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या :– 03/02–राज्य यो0(2)विशेष सर्वेक्षण कर्मी(आरोप)खगड़िया 3091 –28/2022 पटना, दिनांक :– 27/04/2023

आदेश

बंदोबस्त पदाधिकारी, खगड़िया के पत्रांक 653 दिनांक 20.10..2023 द्वारा मो0 हेशाम उद्दीन फरीदी, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो (SKN00729) के विरूद्ध याद्दाश्त पंजी में गलत आदेश पारित करने, साक्ष्य के साथ छेड़–छाड़ करने एवं क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर कैसरे हिन्द सरकारी भूमि का रैयतों के नाम याद्दाश्त पारित करने संबंधी कतिपय आरोप प्रतिवेदित करते हुए संविदा नियोजन रद्द करने की अनुशंसा की गयी है।

प्रतिवेदित आरोप एवं की गयी अनुशंसा के आलोक में भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के पत्रांक 4732 दिनांक 23.12.2023 द्वारा आरोपित से 03 दिनों के अन्दर स्पष्टीकरण की मांग की गयी है। आरोपित द्वारा अपना स्पष्टीकरण निर्धारित अवधि में समर्पित किया गया है।

आरोपित द्वारा स्पष्टीकरण में अन्य तथ्यों के साथ यह अंकित किया गया है कि काश्तकायमी रैयत के पास बैनामा रजिस्ट्री दस्तावेज गलत खेसरा रजिस्ट्री हो जाने के कारण एवं उसी खेसरे की लगान रशीद को देख कर भ्रमवश माननीय भूल के कारण खाता खोला गया है, जिसका सुधार देर–सवेर कर लिया गया है। साथ ही यह भी तथ्य अंकित किया गया है कि बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा इनपर लगाए गए आरोप पूर्णतः असत्य हैं।

बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित आरोप, आरोपित से प्राप्त स्पष्टीकरण एवं संचिका में रक्षित दस्तावेजों/अभिलेखों की समीक्षा की गयी है। समीक्षोपरांत पाता हूँ कि आरोपित द्वारा अपने स्पष्टीकरण में स्वयं स्वीकार किया गया है कि भ्रमवश माननीय भूल के कारण खाता खोला गया है। इनके कथन से इन पर प्रतिवेदित आरोप स्वतः प्रमाणित हो रहे है। साथ ही विशेष सर्वेक्षण जैसे संवेदनशील कार्य में इनके इस तरह से की गयी लापरवाही से अनावश्यक विभाग को कतिपय कठिनाईयों का सामना करना पड़ सकता था। आरोपित द्वारा किए गए घोर लापरवाही के लिए इन्हें आरोप मुक्त किये जाने से विशेष सर्वेक्षण कार्य कर रहे अन्य कर्मियों पर इसका विपरित प्रभाव पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में इनके इस कृत्य का प्रभाव अन्य कर्मियों पर न पड़े इसके दृष्टिगत इनका संविदा नियोजन समाप्त किया जाना उचित होगा।

अतः **"बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली, 2019 के नियम – 8(4)"** में वर्णित प्रावधान के तहत मो0 हेशाम उद्दीन फरीदी, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो(SKN00729) का संविदा अनुबंध रद्द किया जाता है।

(जय सिंह) 27/4/23
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03/02–राज्य यो0(2)विशेष सर्वेक्षण कर्मी(आरोप)खगड़िया 3091 –28/2022 **पटना, दिनांक** 27/04/2023

प्रतिलिपि :– मो0 हेशाम उद्दीन फरीदी, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो(SKN00729), बंदोबस्त कार्यालय, खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03/02–राज्य यो0(2)विशेष सर्वेक्षण कर्मी(आरोप)खगड़िया 38/22 3091 **पटना, दिनांक** : 22/04/2023

प्रतिलिपि :– बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03/02–राज्य यो0(2)विशेष सर्वेक्षण कर्मी(आरोप)खगड़िया 3091 **पटना, दिनांक** : 22/04/2023

प्रतिलिपि :– श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, भू–अभिलेख एवं परिमाप को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं निदेशालय आदेश संख्या 1250 दिनांक 30.01.2023 के अनुपालनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप